

**बिहार सरकार**

**लघु जल संसाधन विभाग**

अधिसंख्या ०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(क०३०)-११/२०२३

/पटना, दिनांक

**अधिसूचना**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के तहत लघु जल संसाधन विभागान्तर्गत विभागीय स्ट्रीनिंग समिति की दिनांक-२४.०१.२०२५ को आहूत बैठक में समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग के निम्नांकित डिप्लोमाथारी कर्नीय अभियंता(असैनिक) को बिहार अभियंत्रण सेवा के बेसिक श्रेड के पद सहायक अभियंता(असैनिक) में, उसके विहित वेतनमान(वेतन स्तर-९) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ आईडी० संख्या/गृह जिला	मूल कोटि वरीयता (विभागीय आदेश सं०-१८३-सह-पठित ज्ञापांक-३२०७ दिनांक-१३.०५.२०१९)	कोटि	वर्तमान कोटि/पद
१	२	३	४	५
१	श्री आशीष रंजन /ज०-२२MWRD/ जहानाबाद	४७/२०१९	BC	कर्नीय अभियंता(असैनिक)

२. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित शर्तों के अध्यधीन है ।
३. श्री रंजन के पदस्थापन होने तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद को सहायक अभियंता(विहित वेतनमान-वेतन स्तर-९) में उल्कमित किया जाता है ।
४. श्री रंजन को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता(असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।
५. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के प्रावधानों के तहत उक्त अधिसूचना में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो उक्त अधिसूचना को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।  
अनु०-सी०डी० सहित हार्ड कॉपी ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव ।

४७/२०१९

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव ।

/पटना, दिनांक-

**ई-मेल** प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, आरा एवं बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

**ई-मेल** प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री आशीष रंजन, कर्नीय अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा प्रतिनियुक्त-लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप सचिव/सचिव के आप सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- १५०२

/पटना, दिनांक- ०१/२/२५

प्रतिलिपि-आई०टी०मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई०टी०मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी०डी० तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

  
सरकार के अपर सचिव ।